प्रेस नोट दिनांक 19.01.2026

अवैध नाजायज गांजा ले जाते हुए एक पेशेवर अपराधी गिरफ्तार कब्जे से कुल 04 किलो 862 ग्राम गांजा बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.01.2026 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह उ0नि0 महबूब अली हे0का0 विमलेश सिंह का0 दिनेश कुमार यादव का0 राकेश सिंह देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम के सम्बन्ध मे ग्राम भिखारीपुर मे मौजूद थे तभी जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति ढाढ़ाचंवर से आने वाले रास्ते पर हामिदपुर पुलिया के पास एक व्यक्ति एक काले रंग के बैग मे नाजायज गांजा लिए हुए खड़ा है इस सूचना को मय हमराहियान को अवगत कराकर हम पुलिस वाले अपने को छिपते छिपाते अचानक पुलिया के पास खड़े व्यक्ति के पास पहुंचे कि अचानक हम पुलिस वालो को सामने आता देखकर पीछे मुड़कर भागने को हुआ कि वहीं पर हामिदपुर पुलिया के पास आवश्यक बल प्रयोग कर रात्रि समय करीब 1.40 बजे पक्रड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब काले बैग मे अबैध नाजायज लगभग 05 किलो गांजा है नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बृजेश कुमार उर्फ प्रिंस बासफोर पुत्र स्व0 रोहित बासंफोर निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी नियमानुसार ली गयी तो काले बैग के अन्दर एक बन्डल में नाजायज गांजा मिला जिसे बाजार से तराजू लाकर तौला गया तो कुल 04 किलो 862 ग्राम वजन पाया गया जिसे सील सर्वमुहर किया गया। पकड़े व्यक्ति का यह अपराध चूकि धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट का दण्डनीय अपराध है अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया। पकड़ा गया अभियुक्त बृजेश कुमार उर्फ प्रिंस बासफोर उक्त एक शातिर किस्म का दुर्दान्त अपराधी है जिसे नियमानुसार गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 18/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट अभियोंग पंजीकृत किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. बृजेश कुमार उर्फ प्रिंस बासफोर पुत्र स्व0 रोहित बासंफोर निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोंग-

1- मु0अ0स0 18/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी विवरण

1. बरामद अवैध नाजायज कुल 04 किलो 862 ग्राम गांजा

आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0स0 69/23 धारा 379, 411 भादवि थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

2- मु0अ0स0 142/23 धारा 379, 411 भादवि थाना घोसी।
3- मु0अ0स0 157/23 धारा 411, 413, 414, 420, 467, 468 भादवि थाना घोसी
4- मु0अ0स0 160/23 धारा 25, 3 आयुध अधि0 थाना घोसी जनपद
5- मु0अ0स0 254/23 धारा 3(1) उ0 प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना घोसी जनपद मऊ ।
6- मु0अ0स0 78/2024 धारा 25, 3 आयुध अधि0 392, 411, 414 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ।
7- मु0अ0स0 569/24 धारा 25, 3 आयुध अधि0 थाना घोसी जनपदम मऊ।
8- मु0अ0स0 367/25 घारा 3(5), 305(a) 324(3), 62 बीएनएस थाना घोसी
9- मु0अ0स0 408/25 धारा 305, 317(2), 331(4) बीएनएस थाना घोसी
10-मु0अ0स0 444/25 धारा 305, 317(2) बीएनएस थाना घोसी
11-मु0अ0स0 486/25 धारा 25, 3 आयुध अधिनियम 310(4), 310(5), बीएनएस थाना घोसी
12-मु0अ0स0 60/23 धारा 25, 3 आयुध अधि0 307, 34 भादवि थाना मधुबन जनपद मऊ .
13-मु0अ0स0 211/23 3(1) उ0 प्र0 गिरोहबन्ध समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण थाना मधुबन
14-मु0अ0स0 174/24 धारा 309(4), 317(3) बीएनएस थाना मधुबन
15-मु0अ0स0 177/24 धारा 25,3 आयुध अधि0, 109 भादवि थाना मधुबन जनपद मऊ।
16-मु0अ0स0 111/22 धारा 323, 427, 504, 506 मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
17- मु0अ0स0 107/23 धारा 379, 411 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
18- मु0अ0स0 68/25 धारा 109, 351(3), 352 थाना भीमपुरा जनपद बलिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता
3. उ0नि0 महबूब अली
4. हे0का0 विमलेश सिंह
5. का0 अवनीश कुमार
6. का0 दिनेश कुमार यादव
7. का0 राकेश सिंह

01 वांछित शातिर चोर गिरफ्तारा गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.01.2026 को थाना

मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बन्धा मोड़ को पास सें मु0अ0स0 448/24 धारा 305, 317(2) बीएनएस प्रकास में आये अभियुक्त सुधीर चौहान पुत्र पप्पू चौहान निवासी भातकोल थाना मुहम्मदबाद जनपद मऊ को गिरफ्ताकर कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त के विवरण-

1- सुधीर चौहान पुत्र पप्पू चौहान निवासी भातकोल थाना मुहम्मदबाद जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग-

1- मु0अ0स0 448/24 धारा 305, 317(2) बीएनएस थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1- उ0नि0 पंकज कुमार थाना मुहम्मदाबाद।
2- का0 सोनू सिंह थाना मुहम्मदाबाद
3- म0क0 रमिता मौर्य थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्येवक्षण में विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19.01.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त हिमांशु पुत्र हरिकेश यादव निवासी भैंसहा सिकड़ीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ।व थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अल हुसैन पुत्र शमशुल होदा खाना निवासी सा0 रामपुर बाबा की बाजार तहसील करहना थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।